संख्या-4631/X-2-2007-12(41)/2006

प्रेषक,

आर0के0 मिश्र
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन.

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक
नियोजन एवं वित्तीय प्रबंधन,
उत्तराखण्ड, देहरादून.

वन एवं पर्यावरण अनुभाग-2 देहरादून : दिनांक 27 सितम्बर, 2007

विषयः- "टी.एच.डी.सी. वित्त पोषित योजना" के अन्तर्गत वर्ष 2007-08 की वित्तीय स्वीकृति.

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्रांक-नि.350/35-27 दिनांक 03 सितम्बर, 2007 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विभाग की "टी.एच.डी.सी. द्वारा वित्त पोषित" योजना के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2007-08 में पूर्व में अवमुक्त धनराशि रू0 72,67,000/- (रू0 बहत्तर लाख सडसठ हजार मात्र) के अतिरिक्त रू0 1,16,96,000/- (रू0 एक करोड सोलह लाख छियानवे हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

1. उक्त स्वीकृत व्यय चालू योजनाओं पर ही किया जाये और किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग नये कार्यो के कार्यान्वयन के लिए न किया जाय. विभिन्न मदों में व्यय से पूर्व वित्त अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-255/XXVII(1)/2007, दिनांक 26 मार्च, 2007 तथा पत्र संख्या-599/XXVII(1)/2007, दिनांक 12 जुलाई, 2007, द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार सक्षम स्तर की अनुमति /यथा स्थिति शासन का अनुमोदन प्राप्त कर ही किया जाये. निर्माण कार्य सम्बन्धी अगणनों पर सक्षम स्तर का अनुमोदन पूर्व में ही प्राप्त कर लिया जाय तथा यथा आवश्यकता नियमानुसार प्रशासनिक स्वीकृति पृथक से प्राप्त की जाय. सम्भावित व्यय की फेजिंग (त्रैमास के आधार पर) तथा अन्य सूचनायें एवं विवरण समयबद्ध आधार पर शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय. किसी भी शासकीय व्यय हेतु भण्डार क्रय प्रक्रिया (स्टोर परचेज रूल्स) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-पांच भाग -1 (लेखा नियम) आय-व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल), सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के शासनादेश तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय.
2. योजना की विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों एवं आदेशों के अनुसार ही किया जाये तथा जहाँ आवश्यकता हो सक्षम अधिकारी/शासन की पूर्व सहमति/स्वीकृति ली जाय. मितव्ययता के सम्बन्ध में नियमों का कड़ाई से पालन किया जाय.
3. विभाग द्वारा अनुमोदित कार्य योजना/ माइक्रोप्लान के अनुसार ही योजना का कियान्वयन सुनिश्चित किया जाय
4. धनराशि का आहरण यथा आवश्यकता ही किया जायेगा.
5. उक्त स्वीकृत व्यय चालू कार्यो पर ही किया जाय और किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग नये कार्यो के क्रियान्वयन के लिये न किया जाय.
6. स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार एवं शासन के वित्त विभाग को वर्षान्त तक अवश्य उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय.

क्रमशः.....2

7. अप्रयुक्त धनराशि को बजट मैनुअल के प्राविधानों के अन्तर्गत समय सारणी के अनुसार समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा.

2. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2007-08 के आय-व्ययक अनुदान संख्या-27 के अन्तर्गत संलग्न तालिका में अंकित लेखा शीर्षक की सुसंगत प्रावधिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा.

3. ये आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या- 223(पी)/XXVII(4)/2007, दिनांक 27 सितम्बर, 2007 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं.

भवदीय

(आर0के0 मिश्र)
अपर सचिव

संख्या-4631(1)/X-2-2007, तद्दिनांकित.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार(लेखा एवं लेखा परीक्षा), उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून.
2. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून.
3. सचिव, नियोजन, उत्तराखण्ड शासन.
4. अपर सचिव, वित्त अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून.
5. निजी सचिव, माननीय मुख्य मंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन.
6. निजी सचिव, माननीय वन एवं पर्यावरण मंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन.
7. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून.
8. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड.
9. जिलाधिकारी, टिहरी, उत्तराखण्ड.
10. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, देहरादून.
11. सम्बन्धित कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड.
12. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन, सचिवालय, देहरादून.
13. प्रभारी, एन.आई.सी., उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून.
14. गार्ड फाइल (जे).

(ओ0पी0तिवारी)
उप सचिव